

सं. 21/76/2013-एम एंड जी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय


एन डी सी सी-II, नई दिल्ली,

दिनांक : २० मई, 2013

21 MAY 2013

सेवा में

श्री प्रमोद टिबड़ेवाल,
पुर्णिमपुर, गोलधर,
गोरखपुर-273001,
(उत्तर प्रदेश)



विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के बारे में।

मुझे आपके आर टी आई आवेदन की मद सं. 1 और 2 के संबंध में आंशिक सूचना प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतरित होने पर प्राप्त दिनांक 04.03.2013 के आवेदन का उल्लेख करना है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि 1985 से मंत्रियों को प्रदान किए गए वेतन एवं भत्तों में वृद्धि की प्रतिशतता के संबंध में कोई रिकार्ड इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, केन्द्रीय मंत्रियों को इस समय प्रदान किए जा रहे वेतन और भत्तों के संक्षिप्त व्यौरे की एक प्रति संलग्न है।

3. जहां तक, 1985 से संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि से संबंधित सूचना का संबंध है, यह विषय-वस्तु संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत आपका आर टी आई आवेदन, उपयुक्त सूचना प्रदान करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को अंतरित किया जा रहा है।

4. इस मामले में अपील प्राधिकारी श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस), गृह मंत्रालय, एन डी सी-II, नई दिल्ली-1 हैं।

भवदीय,

आशुतोष जैन
—
(आशुतोष जैन)

निदेशक (सी एस) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

दूरभाष: 23438147

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

16/2012 - श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आर टी आई सैल, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 20.03.2013 के का. जा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

2013 - श्री - कौशिक लोक सूचना छापिलाई, डॉ. ए. ए. माई शॉप, नई दिल्ली, लोक संसदीय व्यापार मंत्रालय, लोक संसद नार्डी, नई दिल्ली

Received 21/5/13

1186-13-12 मार्च 13

1186/13

दिनांक 04/03/13
24.02.13

B

प्रमोद टिबड़ेवाल (प्रमोद लक्ष्मीनाथ)

पुर्दिलपुर, गोलघर

गोरखपुर-273001, उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी

प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत

नई दिल्ली,

RTI ACT
Diary No. 8/10
Date...08/03/13.....
सरकारी 13/03/13
Dr. D. N. S. T.

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005

जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधोहस्ताक्षरी को निम्नानिकांत सूचनायें प्रदान करने का कष्ट करें -

1-वर्ष 1985 से अबतक सांसदों एवं केन्द्रीय मंत्रियों के वेतन, भत्तो आदि में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गयी?

2-भारत सरकार द्वारा एक साल में किन किन मदों में कितनी धनराशियों का भुगतान सांसदों एवं केन्द्रीय मंत्रियों को किया जाता है वर्ष 1985 से अब तक कुल कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुयी है?

3-वर्ष 1985 से अबतक सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के न्युनतम एवं अधिकतम वेतनमान क्या है तथा उनके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि महंगायी सहीत केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी?

4-सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिये जाने वाले महंगायी दर का आकलन किन किन आधार एवं प्रक्रिया के तहत किया जाता है?

5-वर्ष 1985 से अबतक सरकार द्वारा धान, गेहूँ, गन्ना, कपास, दाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गयी?

6-वर्ष 1985 से अबतक युरीया, डी०ए०पी०, डिजल के दामों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुयी?

कृप्या उक्त सूचनायें निर्धारित समयावधि में प्रदान करने की कृपा करें। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित शुल्क मु० 10/- का पोस्टल आर्डर सं 58सी०316689, 58सी०316690 दिनांक 02.02.13 संलग्न है। यदि उक्त सुचनायें प्रदान करने में अन्य वैधानिक व्यय आयेगा तो अधोहस्ताक्षरी उसे देने के लिये तैयार व तत्पर है।

संधन्यबाद,

भवदीय-

TPO NO. 58C 316689 एफ २५/-
316690 एफ ५/-
10

37 15664

प्रमोद टिबड़ेवाल